

प्रेस- नोटथाना जहानागंजयूपी बोर्ड परीक्षा में दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा देने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना- दिनांक 22.02.2024 को वादी मुकदमा ईश्वरचन्द्र यादव (प्रधानाचार्य) S/O स्व0 जिऊतबन्धन यादव ग्रा0 कुसरना पो0 कोइलारी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय शिकायत किया गया कि स्कूल स्व0 जीउतबन्धन यादव इण्टर कालेज कुसरना जहानागंज में अभियुक्त दीपक चौरसिया पुत्र मुन्नालाल चौरसिया अभ्यर्थी 01 बाल अपचारी के स्थान पर बोर्ड परीक्षा के हिन्दी विषय की परीक्षा देते समय पकड़ा गया, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 72/24 धारा 419, 420 भा0द0वि0 व 3/6/10 उ0प्र0सार्वजनिक परीक्षा अधि0 बनाम 1. दीपक चौरसिया S/O मुन्नालाल चौरसिया पता अज्ञात, 2. बाल अपचारी के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता द्वारा की जा रही है।

➡ विवेचना के दौरान प्राकश में आया कि अभियुक्त छोटक यादव पुत्र दीनानाथ यादव निवासी भुजही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाये थे।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 22.02.2024 को उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दीपक चौरसिया पुत्र मुन्नालाल चौरसिया निवासी भुजही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को स्कूल स्व0 जीउतबन्धन यादव इण्टर कालेज कुसरना जहानागंज को समय करीब 15.20 बजे हिरासत में लिया गया।

➡ अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं अपने भांजे (बाल अपचारी) के स्थान पर उसके एडमिट कार्ड व आधार कार्ड पर अपना फोटो लगाकर विद्यालय में हाईस्कूल की परीक्षा दे रहा था।

➡ उ0नि0 मय हमराह द्वारा उसके भांजे बाल अपचारी को ग्राम भुजही से समय करीब 17.40 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 72/24 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भा0द0वि0 व 3/6/10 उ0प्र0सार्वजनिक परीक्षा अधि0 थाना जहानागंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. दीपक चौरसिया पुत्र मुन्नालाल चौरसिया निवासी भुजही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।
2. बाल अपचारी।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

बरामदगी- 01 फर्जी आधारकार्ड, 01 फर्जी प्रवेश-पत्र

गिरफ्तारी करने वाली टीम- उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता, का0 अखिलेश यादव, का0 टार्जन गोड़ थाना जहानागंज आजमगढ़।

थाना निजामाबाददुष्कर्म के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 20.02.24 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादिनी को शादी का झांसा देकर अभियुक्त राहुल सोनकर पुत्र खिचडु सोनकर निवासी श्रीकान्तपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ ने दुष्कर्म किया तथा शादी की बात से इंकार करने लगा जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 74/24 धारा 376, 504, 506 भादवि0 बनाम राहुल सोनकर पुत्र खिचडु सोनकर निवासी श्रीकान्तपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 23.02.2024 को उ0नि0 सुधीर पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राहुल सोनकर पुत्र खिचडु सोनकर निवासी श्रीकान्तपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को शेरपुर तिराहे से समय करीब 10.13 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग - मु0अ0सं0 74/24 धारा 376, 504, 506 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त- 1. राहुल सोनकर पुत्र खिचडु सोनकर निवासी श्रीकान्तपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली टीम- उ0नि0 सुधीर पाण्डेय, हे0का0 मुलायम यादव, का0 कुलदीप कुमार थाना निजामाबाद, आजमगढ़।

थाना- कप्तानगंज
अपहरण के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 16.02.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक- 15.02.2023 को वादिनी की पुत्री कोचिंग गयी थी जो वापस नहीं आयी जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 36/2024 धारा 363/366 IPC बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

➡ मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त ऋषिकान्त कुमार पुत्र परमेश्वर मोदी निवासी वार्ड 3 पंचायत कटहांडीह थाना जयनगर कतहडीह जनपद कोडरमा झारखण्ड पिन कोड 825409 का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 23.02.2024 को उ0 नि0 बृजकान्त मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त ऋषिकान्त कुमार पुत्र परमेश्वर मोदी निवासी वार्ड 3 पंचायत कटहांडीह थाना जयनगर कतहडीह जनपद कोडरमा झारखण्ड पिन कोड 825409 को वाजिदपुर मोड़ से समय करीब 11.45 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- ऋषिकान्त कुमार पुत्र परमेश्वर मोदी निवासी वार्ड 3 पंचायत कटहांडीह थाना जयनगर कतहडीह जनपद कोडरमा झारखण्ड पिन कोड 825409।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 36/2024 धारा 366 IPC थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. उ0 नि0 बृजकान्त मिश्रा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
2. का0 अजय कुमार चौधरी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
3. महिला PRD रीता सैनी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

थाना दीदारगंज

हत्या के प्रयास का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

दिनांक- 20.2.24 को वादी मुकदमा ज्ञानेन्द्र सिंह पुत्र कैलाश सिंह ग्राम गोसडी थाना दीदारगंज आजमगढ़ ने थाना दीदारगंज पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी आरिफ उर्फ अरबाज पुत्र इसरार निवासी गोसडी थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर वादी मुकदमा के गर्दन पर ब्लेड से वार किया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 39/23 धारा 307 भादवि बनाम आरिफ उर्फ अरबाज पुत्र इसरार निवासी गोसडी थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत हुआ था जिसमें अभियुक्त उपरोक्त फरार चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 23.2.24 को उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आरिफ उर्फ अरबाज पुत्र इसरार निवासी गोसडी थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को सिसवारा बाजार टैक्सी स्टैण्ड के पास से समय करीब 8.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा अभियुक्त के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त ब्लेड बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 39/23 धारा 307 भादवि थाना दीदारगंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-आरिफ उर्फ अरबाज पुत्र इसरार निवासी गोसडी थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0 39/23 धारा 307 भादवि थाना दीदारगंज आजमगढ़।

बरामदगी- घटना में प्रयुक्त ब्लेड

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्र0नि0 अखिलेश कुमार थाना दीदारगंज आजमगढ़।
2. उ0नि0 अनिल कुमार सिंह थाना दीदारगंज आजमगढ़।
3. का0 मिथिलेश कुमार थाना दीदारगंज आजमगढ़।
4. का0 राजकुमार थाना दीदारगंज आजमगढ़।